प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक–30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एस एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 02–09 अगस्त 2021 मूल्य पांच रुपए

क्या उपचुनावों से पहले राम स्वरूप की आत्महत्या पर से पर्दा उठ पायेगा

सरकार के रूख से उभरी आशंका

शिमला/शैल। मण्डी लोकसभा क्षेत्र के सांसद स्व. राम स्वरूप शर्मा ने 17 मार्च को अपने दिल्ली स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी। सांसद ने यह आत्महत्या क्यों की और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन इस जांच मे न तो अभी तक फारैन्सिक रिपोर्ट सामने आयी है और न ही सांसद की कॉल डिटेल अभी तक सामने लायी गयी है। स्मरणीय है कि जब यह आत्म हत्या हुई थी तब दिल्ली में कुछ न्यूज़ साईटस ने इस पर सन्देह जताया था और इसे आत्महत्या का मामला मानने से इन्कार कर दिया था। उस समय मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने भी यह कहा था कि यदि रामस्वरूप के परिजन– परिवार के सदस्य कहेंगे तो सरकार सीबीआई जांच के आदेश कर देगी। अब इस आत्महत्या को चार माह का समय हो गया और अब तक न तो कॉल डिटेल आयी हैं और न ही फारैन्सिक डिटेल। रामस्वरूप का बेटा आनन्द इस जांच प्रौग्रेस जानने के लिये दिल्ली जा आया है। वह दिल्ली पुलिस की जांच से सन्तुष्ट नहीं है और केन्द्रिय मन्त्री नितिन गडकरी से इसकी जांच सीबीआई से करवाने की गुहार लगा चुका है। लेकिन इसका कोई परिणाम अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यदि एक सांसद की मौत की जांच को लेकर इस तरह के हालात होंगे तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है।

इस समय प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। क्या इस सत्र में 18 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की आत्महत्या की जांच की प्रौग्रेस को लेकर सदन में चिन्ता नहीं जताई जानी चाहिये थी? स्मरणीय है कि जब बॉलीवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले पर देशभर में शिमला तक हंगामा खड़ा कर दिया गया था तो क्या प्रदेश के सांसद को लेकर विधानसभा में यह मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिये था जब राम स्वरूप के बेटे की ओर से यह ब्यान आ चुका हो कि उनके पिता आत्म हत्या नहीं कर सकते। रामस्वरूप दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे इसलिये आम आदमी को उम्मीद थी कि प्रदेश भाजपा ही प्रदेश सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग करेगी। लेकिन जब भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया और मण्डी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायकों जगत सिंह नेगी, नंद लाल और सुन्दर सिंह ठाकुर ने नियम 67 के तहत इस पर चर्चा की मांग की तो इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस चर्चा की अनुमति न दिये जाने पर कांग्रेस विधायक नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये। कांग्रेस विधायक इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे क्योंकि रामस्वरूप का बेटा ऐसी मांग कर चुका है। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर स्वयं एक समय जब यह हादसा हुआ था तब कहा था कि अगर परिवार के लोग

कहेंगे तो सरकार सीबीआई जांच के आदेश कर देगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले पर सदन में यह चर्चा जताई कि एक सांसद आत्महत्या कर ले और उसके पीछे के कारणों की जांच भी न हो तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है।

अब मण्डी लोसभा के लिये उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में यह आत्महत्या का मामला उठना स्वभाविक है। क्योंकि यदि एक सांसद के मामले में जांच की गति इतनी धीमी हो सकती है तो आम आदमी को लेकर सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे मामलों में यह प्राय: देखा गया है कि जांच में जितनी देरी होगी साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यह सही है कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है और उस पर कोई दबाव डालना उचित नहीं होगा। लेकिन क्या इसी के साथ यह चिन्ता का विषय नहीं हो जाना चाहिये कि क्यों आज तक सांसद की कॉल डिटेल तक सामने नहीं आ पायी है? क्यों फॉरेन्सिक रिपोर्ट आने में इतनी देर लग रही है? क्या इस जांच गति से उपचुनावों से पहले इस आत्महत्या पर से पर्दा उठ पायेगा? इस समय जिस तरह का रूख सरकार का हो रहा है उससे राम स्वरूप के परिजनों और उनके समर्थकों का जांच पर विश्वास बन पायेगा?

आउटसोर्स के नाम पर कब तक जारी रहेगा उत्पीड़न

क्या दो विधानसभा क्षेत्रों से ही 5000 को आउटसोर्स पर रखा गया

शिमला/शैल। क्या सरकार बेरोज़गारों के साथ धोखा कर रही है? क्या आऊटसोर्स पिछले दरवाजे से भर्ती करने का माध्यम है जिसमें न तो मैरिट और न ही रोस्टर की अनुपालना की कोई बंदिश है। क्या जयराम सरकार ने आऊटसोर्स के माध्यम से आठ हजार नियुक्तियां कर ली हैं जिनमें से अकेले मुख्यमन्त्री और जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह के क्षेत्रों से ही पांच हजार भर्तियां कर ली गयी हैं। यह आरोप सदन में कांग्रेस विधायकों इन्द्र दत्त लखन पाल और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने लगाते हुए प्रश्न काल स्थगित करके इस मामले पर चर्चा की मांग की। सरकार ने इस मांग को स्वीकार नही किया और कांग्रेस नारे लगाते हुए सदन से वाकआऊट कर गयी। बेरोज़गारों को लेकर सत्र के पहले दिन भी मुकेश अग्निहोत्री का प्रश्न लगा था। इसके बाद नियम 130 के तहत भी इस विषय पर नोटिस दिया गया था जिस पर आने वाले दिनों में चर्चा हो सकती है। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहा कि पहले दिन उनका प्रश्न प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं इसको लेकर था और अब मुद्दा पिछले दरवाज़े से भर्ती का है।

बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बेरोज़बारी से निपटने के लिये सरकारों के पास कोई ठोस नीति नहीं है। रोज़गार प्रदान करने में सरकार सबसे बड़ा अदारा है। लेकिन जिस अनुपात में सरकारें प्राईवेट सैक्टर को प्रोत्साहन दे रही हैं और स्वयं कर्ज में डूबती जा रही हैं उसी अनुपात में सरकारी क्षेत्र में रोज़गार खत्म होता जा रहा है। 1990 के दशक में यह आरोप लगा था कि सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम नही करता है और भ्रष्ट है। इस आरोप से सरकारी कर्मचारी की छवि जनता में बिगड़ती गयी और सरकारों को अदारे नीजि क्षेत्र को सौंपने का बहाना मिल गया। जैसे–जैसे सरकारी अदारे नीजि क्षेत्र के हवाले होते गये उसी तर्ज पर सरकार में रोज़गार खत्म होता चला गया। आज हालात यहां तक पहुंच गयी है कि केन्द्र में विनिवेश मन्त्रालय तक का गठन हो गया और रोज़गार का नया अदारा आऊटसोर्स बन गया है। मजे की बात तो यह है कि आऊटसोर्स के नाम पर रोज़गार उपलब्ध करवाने वाली कंपनीयों का कोई पंजीकरण आदि राज्य सरकारों के पास नही है न ही यह कंपनीयां सरकार के प्रति किसी तरह की जवाबदेह हैं और न ही इनके माध्यम से रोज़गार पाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति इनकी कोई जवाबदेही है।

इस समय प्रदेश में हजारों कर्मचारी आऊटसोर्स के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर कर्मचारी पर संबद्ध कंपनी को एक नियमित कमीशन मिल रहा है। लेकिन यह कमीशन तय करने के मानक क्या हैं यह निश्चित नहीं है। इन कंपनीयों का पंजीकरण भारत सरकार के अदारे नाइलिट के माध्यम से है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब यह लोग सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे हैं और उसके लिये सरकार भुगतान कर रही है तो फिर सरकार ही इन्हें सीधे अपने तौर पर ही भर्ती क्यों नहीं कर पा रही है? इनके नाम पर कंपनी को कमीशन क्यों दिया जा रहा है। क्या सदन में इस पर चर्चा नही होनी चाहिये? सदन से बड़ा मंच इस चर्चा और इसके लिये ठोस नीति बनाने का क्या हो सकता है? जब सदन इस पर चर्चा नहीं करेगा तो क्या आने वाले दिनों में यह आरोप नही लगेगा कि इनके शोषण के लिये हमारे माननीय ही जिम्मेदार हैं। पिछली सरकार के दौरान जब यह मुद्दा उठा था और यह सामने आया था कि 35000 लोग आऊटसोर्स के माध्यम से लगे हैं। तब यह निर्देश जारी किये गये थे कि भविष्य में कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आऊटसोर्स पर भर्ती नहीं करेगा। ऐसे में आज यह सवाल पूछा जाना चाहिये था कि कितने विभागों ने आऊटसोर्स के लिये वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली है और यह विभाग अपने तौर पर नियमित नियुक्ति करने में समर्थ क्यों नहीं हैं। 2020 के बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में यह आ चुका है कि 31–7–2019 तक 12165 लोगों को आऊटसोर्स पर रखा गया और इसके लिये 153,19,80030 रूपये खर्च हुए जिनमें से 130,10,21806 कर्मचारीयों पर और 23,09,58,224 रूपये इन्हे रखवाने वाली 94 कंपनीयों को दिये गये। हिमाचल विश्व विद्यालय में आऊटसोर्स को लेकर गंभीर आरोप लग चुके हैं जब एक कारपोरेट कंपनी को दिये ठके को रद्द करके उत्तम हिमाचल कंपनी को सिंगल टैण्डर पर काम दे दिया गया। इस तरह के दर्जनों किस्से हैं। लेकिन इस पर कोई चर्चा को तैयार नही है।

राज्यपाल ने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने का किया आग्रह

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 79वें भारत छोड़ो आन्दोलन दिवस, जो संयोगवश भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है, के अवसर पर छः दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में गांधी इन शिमला पुस्तक का विमोचन किया।

हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिमला शहर और लोगों के साथ महात्मा गांधी के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक एवं स्तंभकार तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत वरिष्ठ सम्पादक विनोद भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को हिमाचल प्रदेश राज्य संग्राहलय शिमला द्वारा प्रकाशित किया गया है।

प्रदर्शनी का शुभारम्भ तथा पुस्तक का विमोचन करने के उपरान्त राज्यपाल ने देश के उन महान सपूतों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का उपहार देने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक मूल्यों और अखंडता को अक्षुण रखना सभी भारतीयों का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने लोगों विशेषकर युवाओं से महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धामी गोलीकांड, पझौता आन्दोलन और सुकेत सत्याग्रह भारत के इतिहास के गौरवशाली अध्याय हैं। धर्मशाला के समीप खनियारा गांव के निवासी कैप्टन राम सिंह द्वारा रचित राष्ट्रीय गान की प्रेरक धुन हम सभी को गौरवान्वित करती है।

राज्यपाल ने हिमाचल राज्य संग्रहालय और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा महात्मा गांधी की शिमला यात्रा को प्रदर्शित करती हुई अदभुत प्रदर्शनी लगाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी और पुस्तक लोगों और शोधकर्ताओं को गांधी के इस ऐतिहासिक शहर से संबंधों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि हमें गांधी के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। उनकी सादगी और उच्च विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं।

निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति डॉ. पंकज ललित ने प्रदर्शनी का उद्घाटन और पुस्तक का विमोचन करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यद्र किया। उन्होंने इस अवसर पर विभाग की विभिन्न गतिविधियों और हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित प्रकाशनों का विवरण भी दिया।

प्रदर्शनी के प्रथम खण्ड में 50 पैनल लगाए गए हैं, जबकि दूसरे खण्ड में गांधी के शिमला के बारे में विचार, स्टोक्स के साथ उनकी मित्रता, बेगार प्रणाली और गांधी, कोटगढ़ के सेब और शहद का स्वाद, धामी गोलीकांड व गांधी, शिमला में गांधी की रैलियों के स्थल, लाइन ऑफ पंजाब व गांधी, माई एम्बिशन, मनोरविला में बापू का कमरा और चैडविक हाउस जहां गांधी आखरी बार रूके थे, को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में अखबारों के दुर्लभ पन्ने भी रखे गए हैं। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त, 2021 तक जारी रहेगी।

गांधी इन शिमला पुस्तक वर्ष 1921 से 1946 तक गांधी की इम्पीरियल शिमला की दस यात्राओं पर आधारित है। इसके 251 पृष्ठों में 24 अध्याय हैं और उस समय के दुर्लभ चित्र और दस्तावेज शामिल हैं। यह पुस्तक केवल गांधी की यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र के प्राचीन इतिहास, गोरखा युद्ध, पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन, हिल स्टेशनों के निर्माण, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं की शिमला यात्रा पर भी प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, शिमला में प्रथम राजनीतिक हलचल, गांधी द्वारा माल रोड पर कार और रिक्शा का उपयोग तथा उस दौरान गरीब लोगों की दुर्दशा का विवरण भी शामिल हैं। उनके साक्षात्कार, वायसराय, सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ उनकी बैठकें और प्रार्थना सभाओं के विस्तृत कालानुक्रमिक विवरण इस पुस्तक को अधिक मनोरंजक बनाते हैं।

सैमुअल इवानज स्टोक्स के साथ गांधी के संबंधों को प्रदर्शित करने वाला एक समर्पित अध्याय शामिल किया गया है। सैमुअल इवानज स्टोक्स को स्वतंत्रता संग्राम में सत्यानंद स्टोक्स के रूप में जाना गया। स्टोक्स ने पहाड़ी क्षेत्रों में सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति का उपयोग करके बेगार प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धामी गोली कांड, रामपुर बुशहर और चम्बा के राजा पर गांधी के विचार पढ़ने योग्य हैं।

1921 में ईदगाह मैदान में और 1931 में ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी की रैलियां और उनके भाषण लेखक के दुर्लभ संकलन हैं। सोलन छावनी में विद्रोह के बाद कैद आयरिश सैनिकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 1920 में सोलन के पास डगशाई छावनी में गांधी की यात्रा लेखक की एक अनूठी खोज है।

1921 में शिमला पर गांधी का विशेष लेख, फाइव हड्रेडथ स्टोरी में प्राचीन शिमला और उसकी समस्याओं का विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में शान्ति कुटीर, फर ग्रूव, कॉर्टन ग्रूव, मैनोरविले, गांधी के ठहरने का स्थान चैडविक हाउस और वाइसरीगल लॉज, एवा लॉज, बैनमोर जहां गांधी ने शिमला में अपनी यात्रा के दौरान दौरा किया था, का विवरण दिया गया है।

गांधी जी के सहयोगी जैसे मेला राम सूद, स्वामी कृष्णानंद, राज कुमारी अमृत कौर, महाशय तीर्थ राम, प्रो. अब्दुल मजीद खान, सरदार शोभा सिंह, नोराह रिचर्ड्स और धर्मगुरू दलाई लामा का विवरण भी इस पुस्तक में दिया गया है।

गांधी पर इस शोध कार्य ने चैडविक हाउस में गांधी के प्रवास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी, (एनएएए) को प्रमाणिक रिकॉर्ड प्रदान करने में सहायता की, जहां 1950 में एनएएए के प्रथम बैच को प्रशिक्षित किया गया था। अब भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक भवन को स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के योगदान और संस्थान के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते धरोहर स्थल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

केन्द्र सरकार की कुनीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने शिमला में छोटा शिमला से ओकओवर, रिज मैदान, ए.जी. चौक, कार्ट रोड़, 103 टनल, अंबेदकर चौक से विधानसभा चौक तक केन्द्र व प्रदेश सरकार की कुनीतियों के खिलाफ एक विशाल तिरंगा मार्च निकाला, जिसमें सेवादल पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों ने छोटा शिमला में स्थित भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यारोपण किया और उन्हें सलामी दी। तत्पश्चात ओकओवर होते हुए रिज मैदान पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा,

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की प्रतिमा, हिमाचल निर्माता व पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्व. यशवंत परमार, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी और स्कैंडल प्वाईंट पर स्व. लाला लाजपत राय, सीटी प्वाईंट पर स्व. लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यारोपण किया और उन्हें सलामी देने के पश्चात, ए.जी. चौक से कार्ट रोड़ होते हुए अंबेदकर चौक पर संविधान निर्माता स्व. भीमराव अंबेदकर की प्रतिमा पर माल्यारोपण कर उन्हें सलामी दी उसके पश्चात विधानसभा चौक पर एक घंटे का मौन प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार की कुनीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री से अपना पद छोड़ने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने पीएम-किसान योजना के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभ की नौवीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत देश के 9.75 करोड़ किसान परिवारों को 19500 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आय सहायता 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में प्रदान करने के लिए 24 फरवरी, 2019 को शुरू की थी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग 13.62 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9.97 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 89 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक राज्य के 9.32 लाख पात्र किसानों को 1350 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार समाज के हर वर्ग और ज़रूरतमंद के उत्थान लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान

तहसील बालीचौकी के डाकघर मलौट के अन्तर्गत वसान गांव की सौमी देवी की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उन्होंने सौमी देवी को यह आर्थिक सहायता उनके पांच पोते-पोतियों के पालन-पोषण के लिए प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान कर रही है। सौमी देवी ने इस आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

कोविड-19 के कारण माता-पिता खोने वाले बच्चों का सहारा बने मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। जिला मण्डी के जोगिन्द्रनगर के वार्ड-4 समलोट निवासी 12 वर्षीय अंशदीप व 17 वर्षीय सोफिया के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर मद्दगार बनें। जोगिन्द्रनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री

से मिलने आए बच्चों ने उन्हें बताया कि उनके माता-पिता का कोविड महामारी के कारण निधन हो चुका है। उन्होंने बताया कि माता-पिता ही उनके परिवार का सम्बल थे। वर्तमान में उनकी आय का कोई साधन नहीं है, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर उनकी दयनीय हालत देखकर भावुक हो गए और मौके पर ही बच्चों को आर्थिक सहायता स्वरूप एक-एक लाख रुपये स्वीकृत कर दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण माता-पिता खोने वाले बच्चों की सरकार हर प्रकार से सहायता सुनिश्चित कर रही है ताकि बच्चों के जीवनयापन और पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

दोनों बच्चों ने इस उदार आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और फ्लिपकार्ट के मध्य समझौता हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में निगम और फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कम्पनी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने ग्रामीण कारीगरों और स्थानीय उत्पादकों की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े 20 हजार से अधिक दस्तकारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कारीगरों को उनके उत्पादों को ऑनलाईन मार्केट के माध्यम से बेचने के अवसर उपलब्ध होंगे और उत्पादों के बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन ब्रांड हिमाचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से हिमाचली शिल्पकारों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद विश्वभर के लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। एक क्लिक के माध्यम से जहां हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उपलब्ध होंगे वहीं स्थानीय कारीगरों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के व्यावसायिक मॉडल को तैयार करने और कारीगरों को ई-मार्केट मंच प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 7 अगस्त, 2021 को मनाए जाने वाले सातवें हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के हथकरघा संचालकों को बधाई दी।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने निगम को सुदृढ़ करने में विशेष रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और निगम की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा दिया।

निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक-2020 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 वर्षो के बाद दूसरा गोल्ड मिला है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। समस्त देशवासियों के लिए यह दिन बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में यह पहला मेडल है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा की यह उपलब्धि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि समर्पण भावना से करें कार्यः जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मण्डी में राज्य स्तरीय स्वच्छता श्रमदान उत्सव के

शुभारम्भ समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि समर्पण भावना के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करें ताकि वह क्षेत्र के लोगों पर अमिट छाप छोड़ सकें। उन्होंने कहा कि पंचायतों में पैसों का कोई अभाव नहीं है और अपने क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए उन्हें केवल प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी और विकासात्मक नीतियों का प्रभावशाली प्रचार-प्रसार करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता श्रमदान उत्सव प्रदेश भर में 15 अगस्त तक एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने संबंधित क्षेत्रों में जल भण्डारण टैंक और पाठशालाओं में अन्य जल स्त्रोतों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे और इस कार्य में सभी महिला मण्डल, युवक मण्डल और अन्य सामाजिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने संबंधित कार्यालयों में भी स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।

द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।

विधायक इन्द्र सिंह गांधी और प्रकाश राणा, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ऋगवेद ठाकुर, मण्डी नगर परिषद की उप-महापौर राजिन्द्र भट्ट और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

महिंद्रा ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश को दी पांच ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान की गई पांच ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस को हरी झण्डी

दिखाकर रवाना किया।

जय राम ठाकुर ने इस परोपकारी कार्य के लिए महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये एंबुलेंस मरीजों को राहत प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये एंबुलेंस आईजीएमसी शिमला, किन्नौर, कण्डाघाट, जंजैहली और नुरपुर अस्पतालों को प्रदान की जाएंगी। उन्होंने जिला कांगड़ा के देहरा में 500 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त किया, जिससे महामारी के इस कठिन समय में क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, प्रेजिडेंट महिंद्रा ग्रुप के कार्यकारी सहायक यशवर्धन वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण करने पर अधिक बल दिया जाएः स्वास्थ्य सचिव

शिमला/शैल। कोविड-19 के खिलाफ राज्य में चलाए जा रहे टीकाकरण महाभियान व संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी का शत-प्रतिशत टीकाकरण करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए और आम लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए कुल लक्षित पात्र आबादी लगभग 55 लाख 23 हजार है, जिसमें से अब तक 39,29,428 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत से अधिक है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 13,26,434 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी है। राज्य में अब तक कुल 52,55,862 डोज कोविड-19 वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब केवल 30 प्रतिशत आबादी ही टीकाकरण के लिए शेष बची है।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। चंबा में भी टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम हुआ है लेकिन यह वैश्विक महामारी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के दृष्टिगत टीकाकरण के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मिशन निदेशक एनएचएम हेमराज बैरवा, उप निदेशक एनएचएम डॉ. गोपाल बैरी शिमला में उपस्थित थे, वहीं विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से अपने-अपने जिलों से बैठक में शामिल हुए।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर एड्स नियंत्रण सोसायटी चलाएगी अभियान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर न्यू इण्डिया कैम्पेन/ 75 के सफल कार्यन्यवन को योजना तैयार करने के लिए राज्यस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की।

सोसायटी 12 अगस्त से 20 अगस्त, 2021 तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर एचआईवी और क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिए बड़े स्तर पर अभियान का आयोजन करेगी। इस अवधि के दौरान स्कूलों और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के अलावा विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा।

सोसायटी की परियोजना निदेशक डॉ. अर्चना सोनी ने राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश अगले वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर विभिन्न आयोजन करेगा। केन्द्र सरकार ने इस अवसर पर न्यू इण्डिया/ 75 की संकल्पना की है जिसके अंतर्गत पारदर्शी और जवाबदेह शासन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता अभियान विभिन्न चरणों में चलाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया।

सम्बन्धित विभागों और हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

रत्न कभी खंडित नहीं होता। अर्थात विद्वान व्यक्ति में कोई साधारण दोष होने पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या जासूसी से हासिल होगा विश्वास

पैगासस जासूसी प्रकरण पर चार देशों ने अपने अपने यहां जांच आदेशित कर दी है। भारत सरकार इस मामले को कोई गंभीर विषय ही नहीं मान रही है। संसद में पैगासस और किसान आन्दोलन को लेकर रोज़ हंगामा हो रहा है। सरकार किसान आन्दोलन को भी गंभीर मुद्दा नहीं मान रही है। इन मुद्दों पर भाजपा नेता राज्यपाल सत्य पाल मलिक पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और बिहार के मुख्यमन्त्री एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी सरकार को राय दे चुके हैं कि पैगासस की जांच की जाये तथा किसानों की मांगो को हल्के से न लिया जाये। किसानों का मुद्दा भी सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित है और अब नौ याचिकायें पैगासस को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का पक्ष जानने के लिये नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि सामने आ रही रिपोर्टे सही है तो यह मुद्दा बहुत गंभीर है। रिपोर्टो का सही होना पूर्व आईटी मन्त्री रविशंकर प्रसाद के इस ब्यान से ही स्पष्ट हो जाता है जब उन्होने संसद में यह कहा कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी तरीके से नहीं हुआ है। रविशंकर प्रसाद के ब्यान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ है वह सरकार के संज्ञान में रहा है। मैने पिछले लेख में आशंका व्यक्त की थी कि यदि राज्य सरकारें भी ईजरायल से यह जासूसी उपकरण खरीद ले तो किस तरह से हालात देश में बन जायेंगे। अब जब यह खुलासा सामने आ गया है कि 2019 के चुनावों के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने अधिकारियों की एक टीम इसी आश्य से ईजरायल भेजी थी तो यह आशंका सही सिद्ध हो जाती है। महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर हो चुकी है।

अब जब भाजपा के अन्दर से भी इन मुद्दों पर जांच की बात उठना शुरू हो गयी है तो यह तय है कि जैसे -जैसे इसकी गंभीरता का ज्ञान समाज को होना शुरू हो जायेगा तो उसी अनुपात में आम आदमी का भरोसा सरकार पर से उठता जायेगा। क्योंकि नोटबंदी से लेकर आज तक जितने भी आर्थिक फैसले इस सरकार ने लिये उनसे आम आदमी की हालत लगातार बिगड़ती चली गयी है। अब आम आदमी को यह समझ आने लग गया है कि वह इस मंहगाई और बेरोज़गारी के सामने ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पायेगा। कैसे उसकी जमा पूंजी पर ब्याज दरें कम होती गयी? क्यों जीरो बैलेंस के नाम खोले गये खातों पर न्यूनतम बैलेन्स न होने पर जुर्माना लगना शुरू हो गया। क्यों रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी मज़ाक बन गयी है। जिस अनुपात में मंहगाई बढ़ी उसी अनुपात में रोज़गार के साधन खत्म होते गये हैं। इन सवालों पर से ध्यान हटाने के लिये आईटी सैल के कर्मचारी कार्यकर्ता जिस अनुपात में हिन्दु- मुस्लिम करते जा रहे हैं उसी अनुपात में समाज अब इस सबके प्रति सजग होता जा रहा है। शायद इसी सजगता का परिणाम है बंगाल का चुनाव और उसके नतीजे। बंगाल के बाहर इस आईटी सैल ने पूरी सफलता से यह फैला दिया था कि ममता हार रही है। लेकिन परिणाम सबके सामने है और इसी से इस प्रचार तन्त्र की प्रमाणिकता स्पष्ट हो जाती है। इसी के कारण अब राज्यों के चुनाव मुख्यमन्त्रीयों के चेहरे पर लड़ने की नीति अपनाई जा रही है। जो कुछ घट रहा है और उससे जिस तरह आम आदमी प्रभावित और पीड़ित होता जा रहा है उसके अन्तिम परिणाम क्या होंगे यह कहना कठिन है। लेकिन इस सबसे आम आदमी ''बुभुक्षित: किम न करोति पापम'' के मुकाम पर पुहंचता जा रहा है। आज आम आदमी सरकार की बजाये विपक्ष से सवाल करने लग गया है कि वह चुप क्यों है। क्योंकि सरकार ने कामगार से उसका हड़ताल का हक छीन लिया है, कामगार को उद्योगपति के रहम पर आश्रित कर दिया है। किसान से उसकी किसानी छीनने का पूरा प्लान तैयार है। ऐसे में जब किसान और कामगार दोनों मिलकर अपने हक के लिये सड़कों पर आ जायेंगे तब उनके सामने सत्ता बहुत हल्की पड़ जायेगी। अब जब सत्ता पक्ष के बीच से ही पैगासस और किसान को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं तो यह तय है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने जा रहा है। किसान और मज़दूर के गठजोड़ के सामने राजनीति का कोई छदम ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पायेगा। आर्थिक पीड़ा को कोई हिन्दु-मुस्लिम करके या छदम् विरोध का लवादा ओढ़ कर कोई क्षत्रप राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प नहीं बन पायेगा। आज पूरा देश देख रहा है कि वह कौन सा राजनेता है जो राष्ट्रीय आशंकाओं पर पहले ही दिन से पूरी स्पष्टता के साथ मुखर रहा है। देश यह भी देख रहा है कि पूरा सत्ता पक्ष किसको पूरे परिवार सहित लगातार गाली देता आ रहा है। इस लगातार गाली ने स्वत: ही वह स्थिति ला खड़ी कर दी है कि आम आदमी उस नेता को समझने और पुकारने लग गया है। परिवर्तन के इस संकेत को रोकना अब शायद किसी के भी वश में नहीं रह गया है। यह जन विश्वास खोने के संकेत हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक जारी

वैश्विक महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को सामान्य रूप से वितरित किए जा रहे मासिक खाद्यान्न की मात्रा को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम – जीकेएवाई) के जरिये करीब दोगुना कर दिया है। इन लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया जो अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)/प्राथमिक गृहस्थ (पीएचएच) राशन कार्ड के तहत उनके सामान्य एनएफएसए आवंटन (यानी प्रति एएवाई परिवार 35 किलोग्राम और प्रति पीएचएच व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति माह) के अतिरिक्त है।

शुरू में पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त मुफ्त राशन का लाभ तीन महीने (यानी अप्रैल से जून 2020) की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। लेकिन संकट जारी रहने के कारण इस कार्यक्रम को अगले पांच महीने (यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक) के लिए बढ़ा दिया गया था। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर से दो महीने (यानी मई और जून 2021) की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और अब इसे अगले पांच महीने (यानी जुलाई से नवंबर 2021) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2021 तक 7 लाख 04 हजार से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के.सी. चमन ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश में उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में फिर से 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 7,04,587 राशन कार्ड धारकों के बीच वितरित किया जा रहा है, जिनकी जनसंख्या 28,70,256 है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है। शुरुआत में इसे तीन महीने की अवधि (अप्रैल, मई और जून 2020) के लिए घोषित किया गया था, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, अप्रैल 2021 में सरकार ने पीएमजीकेएवाई को फिर से शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

दोनों वक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गेहूं, चावल और चना दाल सहित खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के बारे में बताया।

प्रमुख वक्ताओं ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय खाद्य निगम दोनों अपनी व्यवस्था में तालमेल बिठाते हुए खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के लिए एकजुट होकर काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य भर में विशेष रूप से हिमाचल के दूर-दराज, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में लाभार्थियों के बीच सामान वितरण के लिए कम से कम दो महीने की अग्रिम खरीद के साथ खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

वक्ताओं ने सर्वसम्मति से सूचित किया कि लक्षित और सूचीबद्ध लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न के वितरण में खामियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए एक मजबूत जन शिकायत निवारण तंत्र और प्रभावी निगरानी प्रणाली है।

भारतीय हथकरघा उद्योग, अनूठे डिजाइन और कौशल का मिश्रण

शिमला। फैशन की दुनिया में कोटा साड़ियों का विशिष्ट योगदान है। वैश्विक स्तर पर ये साड़ियां अपने उत्कृष्ट डिजाइन और पैटर्न के लिए पहचानी जाती हैं। मूल रूप से, उनकी जड़ें मैसूर में हैं। प्राचीन काल में, इस किस्म की साड़ियां मैसूर के बुनकरों द्वारा राजस्थान में लाई जाती थी। बाद में ये साड़ियां मसूरिया मलमल, कोटा-मसूरिया, कोटा कॉटन और कोटा डोरिया के रूप में लोकप्रिय हो गईं।

रेशम जहां कपड़े को चमक प्रदान करता है, वहीं कॉटन उसे मजबूती प्रदान करता है। चेक वाले पैटर्न को खत कहा जाता है और यह कोटा डोरिया कपड़े की खास विशेषताओं में से एक है। कोटा डोरिया बहुत ही महीन बुनाई से लैस और भारहीन होती है। कोटा के बुनकरों के साथ काम कोटा।

भारत का हथकरघा उद्योग बुनकरों की कलात्मकता के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को भी प्रदर्शित करता है। उत्पादन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 4.3 मिलियन से अधिक लोगों के जुड़े होने के साथ, हथकरघा उद्योग भारत की ग्रामीण आबादी के लिए कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। भारतीय हथकरघा उद्योग के उत्पाद अपने अनूठे डिजाइन और कौशल के लिए जाने जाते हैं। अभी चलन पुराने डिजाइनों को नई तकनीकों के साथ मिलाकर मौलिक उत्पाद तैयार करने का है।

सुश्री रीना ढाका, डिजाइनर, दिल्ली

वास्तव में, हथकरघा उद्योग हमारी रीढ़ है और यह परिधान उद्योग की श्रृंखला से जुड़ा है। मुझे फैशन के क्षेत्र में भी ढाई दशक का अनुभव है। मैं इस व्यापार की अगुआ हूं और एफडीसीआई की संस्थापक सदस्य भी हूं। मैंने हथकरघा उद्योग और बुनकरों से जुड़े निम्नलिखित सुझावों को विचार के लिए सामने रखा है:

क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना

डिजिटलीकरण और तकनीक को अपनाने के लिए उन्हें सहायता देना

उनके उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग और पोजिशनिंग करने में उनकी मदद करना

उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ना

सरकारी बाज़ार, भारत में मेले या अंतरराष्ट्रीय बाज़ार- अगर यह मॉडल मौजूद है, तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है और आज के समय के अनुरूप बनाया जा सकता है। दिल्ली हाट, परंपरा पर आधारित पर पहले से मौजूद चलन को फिर से दोहराने या उसका आधुनिकीकरण करने का एक अच्छा उदाहरण है।

इस शिल्प को सहारा देने के लिए फिल्में मूल्य आधारित पर्यटन की शुरुआत करने का जरिया बन सकती हैं। ऐसी फिल्में प्रमुख चैनलों पर सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रसारित की जा सकती हैं। हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया और अन्य सामाजिक गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है।

अतीत में फॉक्स ट्रैवलर पर, मैंने लखनऊ और उसके शिल्प को शूट किया है जिसकी वजह से शैली और शहर से जुड़े टीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है।

हमें अपनी प्रगति से जुड़े कार्यों को जारी रखने की जरूरत है। बेहतर तरीके से तैयार संग्रह, आधुनिक संभावनाओं के अनुरूप सुनियोजित ढंग से निर्धारित मूल्य या बेहतर पुनरीक्षित मूल्य पर बढ़िया परिधानों को युवा निश्चित रूप से खरीदना चाहेंगे। हमारी ओर से आपको हथकरघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

ई-रुपी लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ा रहा

शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई-रुपी का शुभारंभ किया। प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल लेनदेन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को और अधिक प्रभावी बनाने में ई-रुपी वाउचर एक बड़ी भूमिका निभायेगा और डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। उन्होंने कहा कि ई-रुपी इस बात का प्रतीक है कि भारत, लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर कैसे आगे बढ़ रहा है।

ई-रुपी क्या है और यह कैसे काम करता है?

ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जाकर उसकी सेवाओं का लाभ उठायेगा और अपने फोन पर प्राप्त ई-रुपी वाउचर से भुगतान कर सकेगा।

इस प्रकार ई-रुपी एक बार का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचे बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।

ई-रुपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। इसकी बजाय इ-रुपी एक व्यक्ति विशिष्ट, यहां तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है।

ई-रुपी उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद है?

ई-रुपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की दो-चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

एक अन्य लाभ यह भी है कि ई-रुपी बुनियादी फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है।

प्रायोजकों को ई-रुपी से क्या लाभ हैं?

प्रत्यक्ष-लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में ई-रुपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा ऐसी आशा है। चूंकि, वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहह है, इससे लागत की भी कुछ बचत होगी।

सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होंगे?

ई-रुपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रीयल टाइम भुगतान का भरोसा देगा।

ई-रुपी किसने विकसित किया है?

भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली ई-रुपी लॉन्च की है।

वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है।

कौन से बैंक ई-रुपी जारी करते हैं?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे हैं।

जल्द ही ई-रुपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

अभी ई-रुपी का उपयोग कहां किया जा सकता है?

शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है जहां ई-रुपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ई-रुपी का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहां तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन के लिए अपना सकेंगे।

डिजिटल मीडिया के लिए नैतिक संहिता:सही दिशा में एक कदम

राजीव रंजन रॉय

शिमला। यह सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी सतत प्रगति के लिए नैतिक संहिता का पालन करें और जन संचार के परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता और भव्यता को बनाए रखें। नैतिक संहिता भी पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को कायम रखते हुए सूचना को समग्र रूप से प्रसारित करने की उनकी प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है। व्यावसायिक दक्षता के अनुसरण में, नैतिकता का पालन कमजोर नहीं होना चाहिए। डिजिटल मीडिया या किसी भी अन्य व्यावसायिक संचार माध्यम का लक्ष्य लोगों को न केवल कल्याणकारी योजनाओं और सरकार के सकारात्मक उपायों के बारे में जागरूक करना है, बल्कि एक लचीले और समावेशी भारत के निर्माण में हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना भी एक बड़ी भूमिका है।

जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया का कई तरीकों और रूपों में विस्तार होता है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता स्वभाविक हो जाती है कि वे नैतिकता के सिद्धांत का पालन करें ताकि लोगों को बिना तोड़े मरोड़े पूर्ण तथ्यों के साथ सशक्त बनाने के बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति हो। ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नागरिक को शिकायत निवारण तंत्र के बिंदु में रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 न केवल निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देकर और उनकी शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है बल्कि सभी डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को समान अवसर प्रदान करता है।

डिजिटल मीडिया से संबंधित उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारों की कमी के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता और त्रि-स्तरीय स्व-नियमन एक स्वागत योग्य कदम है। जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के निवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 का गठन किया गया।

डिजिटल मीडिया आचार संहिता के विभिन्न पहलू हैं जैसे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता(त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, और डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने और प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कई प्रकाशकों से प्रतिक्रिया मिली है और प्रकाशकों के कई निकायों और संघों ने नए नियमों के तहत स्व-नियामक निकायों के गठन के संबंध में प्रतिक्रियाएं भेजी है। नियम और मानदंड डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचे को शामिल करते हुए एक संवेदनशील सह-नियामक ढांचे की स्थापना करते हैं।

गौरतलब है कि वर्चुअल इंटरएक्टिव बैठक में जनसंचार के संस्थानों के कई डिजिटल समाचार प्रकाशकों, पत्रकारों, ओटीटी प्लेटफार्मों और शिक्षाविदों ने भाग लिया था। इन नियमों को अंतिम रूप देते समय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण, संवेदनशील निरीक्षण तंत्र स्थापित करने हेतु आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया। इसी प्रकार और भी कई कदम उठाए गए।

मोबाइल फोन और इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने पदचिन्हों का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। आम लोग भी इन प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल काफी अहम तरीके से कर रहे हैं। कुछ पोर्टल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में विश्लेषण प्रकाशित करते हैं और जो विवादित नहीं हैं, ने बताया है कि व्हाट्सएप के 53 करोड़ उपयोगकर्ता हैं(यूट्यूब उपयोगकर्ता: 44.8 करोड़ (फेसबुक 41 करोड़ (इंस्टाग्राम 21 करोड़ और ट्विटर इस्तेमाल करने वाले 1.75 करोड़। इन सामाजिक मंचों ने आम भारतीयों को अपनी रचनात्मकता दिखाने, प्रश्न पूछने, सूचित होने और सरकार और उसके पदाधिकारियों की आलोचना सहित अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा करने में सक्षम बनाया है। सरकार लोकतंत्र के एक अनिवार्य तत्व के रूप में आलोचना और असहमत होने के प्रत्येक भारतीय के अधिकार को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला इंटरनेट समाज है और सरकार ने भारत में काम करने, व्यापार करने और मुनाफा कमाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत किया है। यद्यपि, उन्हें भारत के संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेह होना होगा। इसी तरह, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आम भारतीयों को सशक्त बना रहा है, लेकिन सरकार और अन्य हितधारक कुछ गंभीर चिंताओं और परिणामों से बेखबर नहीं हो सकते हैं जो हाल के वर्षों में डिजिटल मीडिया के प्रसार के साथ कई गुना बढ़ गए हैं। इन चिंताओं को समय-समय पर संसद और इसकी समितियों, न्यायिक आदेशों और देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिक समाज के विचार-विमर्श सहित विभिन्न मंचों पर उठाया गया है।

महिलाओं की परिवर्तित छवियों और रिवेंज पोर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने अक्सर महिलाओं की गरिमा को खतरे में डाल दिया है। कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता को खुले तौर पर अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यवसायों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। मंचों के माध्यम से अभद्र भाषा, अपमानजनक और अश्लील सामग्री और धार्मिक भावनाओं के घोर अनादर के मामले बढ़ रहे हैं। नकली सूचनाओं और नकली आख्यानों के माध्यम से राजनेताओं, नौकरशाहों और अन्य मशहूर हस्तियों के चरित्र हनन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोटरों और प्रकाशकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार के लिए उदासीनता की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। अपराधियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है। इनमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

अतएव यह स्पष्ट है कि, एक मजबूत शिकायत तंत्र की आवश्यकता थी जहां सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के सामान्य उपयोगकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निवारण कर सकें। नए नियम उदार स्व-नियामक ढांचे के साथ संवेदनशीलता का एक अच्छा मिश्रण हैं। यह देश के मौजूदा कानूनों और प्रतिमाओं पर काम करता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री पर लागू होते हैं। समाचार और समसामयिक मामलों के संबंध में प्रकाशकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करें, जो पहले से ही प्रिंट और टीवी पर लागू हैं। इसलिए, केवल एक न्यायसंगत परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना के प्रसार के व्यवसाय को जवाबदेह और पारदर्शी हुए बिना अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, डिजिटल मीडिया के लिए नैतिकता आवश्यक!

(लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं)

अध्यापकों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मण्डी के नेरचौक के समीप कांसा चौक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा आयोजित 5वें प्रांत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के

कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बन्द रहे, परन्तु प्रदेश सरकार ने विभिन्न नवाचार कार्यक्रमों को शुरू कर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 8600 से अधिक नए पदों और पदोन्नति के माध्यम से 6000 पदों को भरा गया है तथा इस अवधि के दौरान शिक्षा विभाग ने 16000 से अधिक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 14687 से अधिक पैरा, पीटीए और अनुबन्ध अध्यापकों भी नियमित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कई क्षेत्रों में अग्रणी है और शिक्षा क्षेत्र उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय अध्यापकों के कठिन परिश्रम और समर्पण भाव को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा में समुचित विस्तार कर चुका है और सरकार गुणात्मक शिक्षा और शैक्षणिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्रदेश में अभिनव कार्यक्रम हर घर पाठशाला की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अध्यापकों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें समय पर सभी वित्तीय लाभ प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा विभाग के एक लाख अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और समर्पण भाव के कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार ने गणमान्यों का स्वागत किया और अध्यापकों की विभिन्न मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत 2555 एसएमसी अध्यापकों के नियमितिकरण के लिए नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के संगठन मंत्री पवन मिश्रा ने शिक्षक संघ की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कल्याण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए तभी भारत विश्व गुरू की छवि पुनः प्राप्त करेगा।

बल्ह के विधायक इन्द्र सिंह गांधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अध्यापकों की विभिन्न मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया।

सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल । खेलो इंडिया योजना के तहत मंत्रालय ने देश भर में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से 360 खेलो इंडिया केंद्रों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

खेलो इंडिया योजना के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को समर्थन वर्टिकल के तहत अब तक देश भर में 236 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है।

खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल विद्यालय खोलने सहित खेल के विकास की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों की होती है। केंद्र सरकार इस संबंध में उनके प्रयासों में सहयोग देती है। यह मंत्रालय देश में ऐसे स्कूलों की संख्या के संबंध में राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र/जिला-वार आंकड़े नहीं रखता है।

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं:-

(i) खेलो इंडिया योजना (ii) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन (v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष (vi) राष्ट्रीय खेल विकास कोष (और (vii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ज्यादातर खिलाड़ी देश के ग्रामीण, पिछड़े, आदिवासी और महिला आबादी से आते हैं तथा उन्हें योजनाओं के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवासीय एवं गैर-आवासीय आधार पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर दो श्रेणियों में प्रतिभा खोज शुरू की गई है। प्रतिभा की पहचान करने के लिए भारत को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। संभावित और सिद्ध खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए कई ग्रासरूट जोनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में उन 20 खेल विधाओं में प्रतिभा पहचान की जाती है, जिनमें देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता/लाभ होता है।

खेलो इंडिया योजना के 'प्रतिभा खोज और विकास' वर्टिकल के तहत, इस योजना के तहत पहचाने और चुने गए खेलो इंडिया खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष पॉकेट भत्ता के रूप में दिया जाता है और कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, आहार, उपकरण, उपभोज्य, बीमा शुल्क आदि जैसी अन्य सुविधाओं के लिए 5.08 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर योजना के तहत अधिसूचित प्रत्येक खेलो इंडिया केंद्र प्रति खेल पांच लाख रुपये का एक बार मिलने वाला अनुदान और प्रति खेल पांच लाख रुपये का आवर्ती अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

खेलो इंडिया योजना के 'राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को समर्थन' वर्टिकल के तहत, खेलो इंडिया खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खेल अकादमियों को मान्यता दी जाती है। अकादमियों को मान्यता देना एक सतत प्रक्रिया है और खेल अकादमियों को खेलो इंडिया योजना के तहत नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है। देशभर में अब तक ऐसे 236 खेल अकादमियों को मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना के 'राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र' वर्टिकल के तहत, इस मंत्रालय ने देश भर में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, जिनमें से 360 खेलो इंडिया केंद्र पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

चराई परमिट की समय अवधि छः वर्ष करने का प्रयासःवन मंत्री

शिमला/शैल। वन मंत्री राकेश पठानिया ने चराई सलाहकार पुनर्वलोकन समिति की 47वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर राज्य के चरवाहों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि चराई हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिम्ब है और इसे संजोए रखना आवश्यक है।

बैठक के दौरान वन मंत्री ने चरवाहों के वन विभाग से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की और उनके द्वारा उठाई गई उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने झुंड के साथ चलने वाले वास्तविक चरवाहों की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि उनके पशुधन को चोरी होने से बचाया जा सके। इनके लिए सलीपिंग बैग के साथ सोलर मोबाइल चार्जर और कम भार वाले टेंटों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चराई परमिट की समय अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष करने के प्रयास किए जाएंगे।

वन मंत्री ने अधिकारियों को

चरवाहों की व्यापक आवाजाही वाले मार्गों की पहचान करने और उनकी सुविधा के लिए मार्गों को डिजिटाईज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चरवाहों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि संकट के समय उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को चरवाहों की सुविधा के लिए वन भूमि में छः स्थलों की पहचान कर उन पर बुनियादी ढांचा विकसित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ. सविता ने इस अवसर पर वन मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चरवाहों के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के आठ चरागाह मार्गों को डिजिटाइज कर दिया गया है और शेष को डिजिटाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में प्रधान सचिव वन रजनीश, पीसीसीएफ वन्यजीव अर्चना, पीसीसीएफ प्रबंधन राजीव कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।

जुलाई माह में जीएसटी संग्रहण में 50.7 प्रतिशत की बढ़ौतरी

शिमला/शैल। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जुलाई 2021 में राज्य में मासिक जीएसटी संग्रहण में 50.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस माह में एकत्रित जीएसटी 473.81 करोड़ रुपये है जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 तक संचयी जीएसटी संग्रहण 1301.03 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान राज्य में 705.26 करोड़ संग्रहण हुए थे।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में बेहतर जीएसटी संग्रहण व्यापारिक गतिविधियों, करदाताओं की बेहतर निगरानी के कारण रिटर्न फाइलिंग में सुधार तथा विभाग द्वारा अधिक प्रभावी प्रवर्तन गतिविधियों के कारण सम्भव हो पाया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शिमला ने जुलाई माह में पूर्ण क्षेत्र सर्वेक्षण किया

शिमला/शैल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। भारत सरकार ने जुलाई 2021 के महीने में औद्योगिक सर्वेक्षण, मूल्य सर्वेक्षण, शहरी फ्रेम सर्वेक्षण, अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और थोक मूल्य सूचकांक जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए पूर्ण क्षेत्र सर्वेक्षण किया है।

कार्यालय ने थोक मूल्य सूचकांक के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस योजना का उद्देश्य थोक मूल्यों का संग्रह करना और मुद्रास्फीति को मापने के लिए नवीनतम मूल्य सूचकांक प्राप्त करने के लिए आधार वर्ष को 2017-2018 में बदलना है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने पीआईबी को बताया कि कृषि सर्वेक्षण वर्ष 2021-2022 के लिए नमूना चयन भी कार्यालय द्वारा चालू माह के दौरान पूरा किया गया था। इन नमूनों का उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। खरीफ और रबी कृषि मौसम दोनों में क्षेत्र के उपयोग और फसल की पैदावार के आकलन की जांच करने के लिए। ये नमूने भी राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक रूप से लिए जाते हैं।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए कार्यालय द्वारा 'घरेलू पर्यटन व्यय' और 'बहु-संकेतक सर्वेक्षण' पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का 78वां दौर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कार्यालय ने जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रचार उपाय के रूप में फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए नए एलईडी साइन बोर्ड लगाकर अपने परिसर में बुनियादी ढांचे का विकास भी किया है।

अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर तबके के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटना सबसे जरूरी:सी.जे.आई

शिमला। 'भारत में न्याय हासिल करना महज एक आकांक्षापूर्ण लक्ष्य नहीं है। इसे व्यावहारिक वास्तविकता बनाने के लिए हमें सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है।' भारत के मुख्य

न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मुख्य संरक्षक एन. वी रमण ने नई दिल्ली में यह बात कही।

एक हाइब्रिड कार्यक्रम में नालसा के विजन एवं मिशन ब्यौरे और कानूनी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को जारी करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यदि हम कानून के शासन द्वारा चलने वाले समाज के रूप में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर तबके के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में देश भर से पदाधिकारी शामिल हुए।

नालसा की भूमिका और उसकी पहल की सराहना करते हुए एन. वी रमण ने कहा, डाक नेटवर्क की मौजूदा सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग निशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरुकता फैलाने और पात्र वर्ग, खासतौर पर देश के ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सभी डाकघर जागरूकता फैलाने और काननी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा से जुड़े रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'डाकघर और पोस्टमैन द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उन लोगों के बीच की खाई को पाट देंगी, जो भौगोलिक बाधाओं के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित हैं। ये ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच के विभाजन को कम करेंगी।'

इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कानूनी सेवा संस्थानों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना है, तो यह डाकघरों के माध्यम से ही होना चाहिए।

इस कार्यक्रम में दोनों गणमान्य अतिथियों ने डिस्प्ले पोस्टर भी जारी किए। इन्हें निशुल्क कानूनी मदद और सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए देश भर के सभी डाकघरों में लगाया जाएगा।

आज जारी किया गया विजन एवं मिशन ब्यौरा नालसा के उस दृष्टिकोण को समाहित करता है, जो एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वालों तथा वंचितों के लिए निष्पक्ष एवं सार्थक न्याय सुनिश्चित करने वाला है। यह समाज में हाशिए पर रहने वालों और छोड़ दिए गए समूहों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के नालसा के मिशन को कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों और पात्र लाभार्थियों को प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी जानकारी एवं जागरुकता प्रदान कर बढ़ावा देता है।

एंड्रॉइड फोन के लिए काननी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन में कानूनी मदद खोजना, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों की मांग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सुविधा और स्पष्टीकरण मांगने जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जो कानूनी मदद का लाभ पाने वालों तथा कानूनी सेवा प्राधिकरणों, दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

इस ऐप के जरिये लाभार्थी संस्थान पूर्व मध्यस्थता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐप के जरिये पीड़ित मुआवजे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को जल्द ही आईओएस और क्षेत्रीय भाषाओं में लांच किया जाएगा।

हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक की 'वनटाइम सैटलमेंट पॉलिसी' पुस्तिका जारी

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 'वनटाइम सैटलमेंट पॉलिसी' पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मार्च, 1954 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 15950.81 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी, 12325.98 करोड़ रुपये की जमा पूंजी और 7081.17 करोड़ रुपये के ऋण के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंक के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह बैंक 218 शाखाओं और 23 विस्तार शाखाओं के माध्यम से राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एकमुश्त निपटान नीति में ऋण के 181 मामलों का निपटान कर 26.14 करोड़ रुपये वसूल करने की परिकल्पना की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक की बकाया राशि का निपटारा बैंक की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया है और बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करना और पुनर्भुगतान में समस्या का सामना कर रहे सभी पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कवरेज के लिए राशि की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है। बैंक ने 2000 ऋण मामलों का निपटारा कर लगभग 30 करोड़ रुपये वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शहरी विकास और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय बैंक है। उन्होंने कहा कि बैंक के 15.56 लाख उपभोक्ता हैं, जिससे इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एकमुश्त निपटान नीति की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी।

बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्रवण मान्टा ने बैंक की गतिविधियों की जानकारी दी।

खेल रत्न पुरस्कार को अब कहा जायेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें देश भर के नागरिकों से 'खेल रत्न पुरस्कार' का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 'खेल रत्न पुरस्कार' को अब से 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' कहा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत के सम्मान और गौरव को नए शिखर पर पहुंचा दिया था। अत: यह बिल्कुल उचित है कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा।

''ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे-बेटियों ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।

देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।

विद्युत वितरण सेक्टर पर नीति आयोग आरएमआई ने रिपोर्ट जारी की

वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान

शिमला। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऐसे सुधारों के बारे में बताया गया है, जो देश के विद्युत वितरण सेक्टर को बदल देंगे। यह रिपोर्ट इस बिजली वितरण क्षेत्र सम्बंधी नीति-निर्माण में सुधार लाने की पहल है।

रिपोर्ट का शीर्षक टर्निंग एराऊंड दी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर (विद्युत वितरण सेक्टर में आमूल परिवर्तन) है

और इसे नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि आरएमआई इंडिया, भारत में स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है और यह अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीटयूट (आरएमआई) से सम्बद्ध है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने जारी किया। इस मौके पर डॉ. वीके सारस्वत (सदस्य, नीति आयोग). अमिताभ कांत (कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग), आलोक कुमार (विद्युत सचिव), डॉ. राकेश सारवाल (अवर सचिव, नीति आयोग) और सुश्री अक्षिमा घाटे (प्रिंसिपल, आरएमआई इंडिया) भी उपस्थित थे।

भारत में ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) हर साल घाटे में रहती हैं। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। एक के बाद एक होने वाले घाटे के कारण बिजली उत्पादकों को समय पर भुगतान नही कर पाती, बेहतर तरीके से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी निवेश नही कर पाती या विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने की तैयारी नही कर पाती।

रिपोर्ट में भारतीय और दुनिया के बिजली वितरण सेक्टर में किये जाने वाले सुधार प्रयासों की समीक्षा की गई है। देश में मौजूद नीतिगत अनुभवों से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट व्यवहारों और सीख को इसमें शामिल किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, 'इस रिपोर्ट में कई महत्त्वपूर्ण सुधारों को परखा गया, जैसे वितरण में निजी क्षेत्र की भूमिका, बिजली की खरीद, नियमों की स्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना।' उन्होंने कहा कि एक मजबूत और कारगर वितरण सेक्टर जरूरी है, चाहे व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिये हो या जीवन को और आसान बनाने के लिये हो।

रिपोर्ट को अध्यायों में बांटा गया है, जिनके तहत ढांचागत सुधार, नियमों में सुधार, संचालन में सुधार, प्रबंधन में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को रखा गया है। डॉ. वीके सारस्वत, सदस्य नीति आयोग ने कहा, 'इस रिपोर्ट में नीति-निर्माताओं के लिये सुधार विकल्प की एक पूरी सूची दी गई है, जिससे वे बिजली वितरण सेक्टर को सही रास्ते पर ला सकें और उसे फायदेमंद बना सकें। नीति आयोग इन सुधारों पर अमल करने के लिये कुछ राज्यों के साथ साझेदारी करेगा।'

मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुये आरएमआई के प्रबंध निदेशक क्ले स्ट्रेंजर ने कहा, 'डिस्कॉम की परेशानियों को ध्यान में रखते हुये लंबे और मजबूत समाधान के लिये नीति में बदलाव की जरूरत है। इसके साथ संगठन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सम्बंधी सुधार भी करने पड़ेंगे। भिन्न-भिन्न राज्य सुधारों के भिन्न-भिन्न रास्तों पर आगे बढ़े हैं, जिससे सीखने के लिये नीतिगत प्रयोगों का पूरा समुच्चय मौजूद है।'

एसजेवीएन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का बनाया रिकॉर्ड

- नापथा झाकरी ने 1216.565 एमयू बिजली पैदा की
- रामपुर हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने 335.9057 एमयू बिजली पैदा की

शिमला। सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के नापथा झाकरी हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने एक महीने के हिसाब से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 31 जुलाई, 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने 1213. 10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया।

इसी तरह रामपुर हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने भी जुलाई 2021 में 335.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके जुलाई 2020 के पिछले 333.69 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड को पार कर लिया।

1500 मेगावॉट वाली नापथा झाकरी को 6612 मिलियन यूनिट और 412 मेगावॉट वाले रामपुर एचपीएस को 1878 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता के मद्देनजर डिजाइन किया गया है, जबकि इन पॉवर स्टेशनों ने क्रमश: 7445 मिलियन यूनिट और 2098 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की है।

एसजेवीएन ने 1988 में एकल हाइड्रो परियोजना के रूप में काम करना शुरू किया था। इस कंपनी की निर्धारित क्षमता 9000 मेगावॉट की है, जिसमें से 2016.5 मेगावॉट का परिचालन हो रहा है और 3156 मेगावॉट निर्माणाधीन है। इसके अलावा 4046 मेगावॉट की तैयारी चल रही है। आज एसजेवीएन की मौजूदगी देश के नौ राज्यों में है। दो अन्य देशों में भी उसकी उपस्थिति है। कंपनी ने बिजली उत्पादन और पारेषण के अन्य क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा दिये हैं। अपनी निर्धारित क्षमता के हवाले से एसजीवीएन का 2023 तक 5000 मेगावॉट, वर्ष 2030 तक 12000 मेगावॉट और 2040 तक 25000 मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

समग्र शिक्षा अभियान परियोजना में पुस्तक खरीद पर लगे करोड़ों का घपला होने के आरोप

शिमला/शैल। अभी चार अगस्त को उत्तर मध्य भारत के हिन्दी प्रकाशक संघ ने प्रदेश विधानसभा का घेराव करके एक शिकायत पत्र मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को सौंपकर इसकी विजिलैन्स से जांच करवाने की मांग की है। प्रकाशक संघ में उत्तरी भारत के राज्यों के कई प्रकाशकों ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ प्रकाशक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि विभिन्न राज्यों के प्रकाशकों ने शिमला में इक्कट्ठे होकर विधानसभा का घेराव किया हो और सरकार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाये हों। इस घेराव से अन्य राज्यों में भी यह सन्देश गया है कि जब शिक्षा विभाग में ही करोड़ो का घपला हो रहा है तो अन्य विभागों की स्थिति क्या होगी। शिक्षा विभाग पर यह आरोप समग्र शिक्षा अभियान परियोजना द्वारा की जा रही पुस्तक खरीद पर लगे हैं। आरोप है कि परियोजना निदेशायल द्वारा पुस्तकों की खरीद के लिये तय प्रक्रिया की अनदेखी करके इस खरीद को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि शैक्षणिक सत्र 2020 –21 के लिये पुस्तकों की खरीद हेतु 10 मार्च 2021 को विज्ञापन जारी किया गया और पुस्तकें जमा करवाने के लिये दस दिन का समय दिया जबकि भण्डार क्रय नियमों के अनुसार बीस लाख से अधिक की खरीद के लिये कम से कम 21 से 30 दिन का समय दिया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस विज्ञापन में पहले प्रकाशकों से टेक्निकल बिड के तहत दस्तावेज मांगे जाते हैं इनकी जांच परीक्षण के बाद ही प्रकाशकों की संस्थाओं की किताबों को चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की खरीद (डिस्ट्रीब्यूटर) वितरक के माध्यम से नहीं की जा सकती। इस आशय के निर्देश मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये हैं। इसमें एनसीई आरटीएनवीटी पब्लिकेशन डिविजन आदि से सीधे खरीद का प्रावधान है न कि डिस्ट्रब्यूटर के माध्यम से, क्योंकि सरकारी प्रकाशन अपना अधिकतम डिस्काउंट विभाग को देते हैं। प्रकाशक संघ के मुताबिक 2019–20 में सरकारी प्रकाशनों की किताबे डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से लेने पर हिमाचल को करीब एक करोड़ का नुकसान हुआ है। अब 2020–21 के लिये भी 2019–20 को ही आधार बनाकर खरीद करने का प्रयास किया जा रहा है और 10% का डिस्काउंट मांगा गया है। जबकि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा तय डिस्काउंट ही पूरे देश मे लिया जाता है जो इस तरह है– 1 से 10 प्रतियों पर 10%, 11 से 25 प्रतियों पर 15%, 25 से अधिक 100 प्रतियों तक 20%, 100 से अधिक 300 प्रतियों तक 30% और 300 से अधिक प्रतियों का क्रय करने पर 35% छूट निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा विभाग भी पुस्तकों को क्रय इसी प्रक्रिया के अनुसार करता है।

इस तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत खरीदी जा रही पुस्तकों पर न तो भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवम् नियमों पालन किया जा रहा है और न ही राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा तय डिस्काउंट लिया जा रहा है यह आरोप है प्रकाशक संघ का। प्रकाशक संघ ने 4–8–2021 को मुख्यमन्त्री को सौंपे पत्र में कहा है कि वह 23–5–21, 5–6–21 और 22–6–21 को पत्र लिखकर परियोजना निदेशक से लेकर मुख्यमन्त्री कार्यालय तक सभी संवद्ध अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को ला चुके हैं परन्तु किसी ने भी न तो उनके पत्रों का कोई उत्तर दिया और न ही उन्हें मिलने का समय दिया। आरोप यह भी है कि जिन 49 प्रकाशक फर्मो को पहले चरण में शार्टलिस्ट किया गया है उनमें से 33 फर्मे केवल 8 पत्ते पर ही दर्ज है। इससे इनके अलग- अलग होने पर सन्देह खड़ा हो जाता है। इससे यह लगता है कि आठ लोगों ने ही नाम बदल कर 33 फर्मे खड़ी कर ली हैं।

यह भी आरोप है कि पुस्तकों का चयन करने के लिये एक बारह सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 22 मार्च 21 से लेकर 3 अप्रैल 21 तक 400 प्रकाशक फर्मो की विभिन्न कैटेगरी की पुस्तकों का चयन करके इसकी वाकायदा हस्ताक्षरित सूची परियोजना निदेशक को सौंपी थी। लेकिन बाद में इस चयन कमेटी की सूची को नजरअन्दाज करके 49 फर्मो का चयन कर लिया गया। इस चयन का आधार क्या रहा यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस तरह खरीद की हर प्रक्रिया पर तय नियमों को नज़रअन्दज करने का आरोप लगा है। इन आरोपों पर जब समग्र शिक्षा अभियान परियोजना निदेशक के कार्यालय में उनका पक्ष जानने के लिये संपर्क किया गया तो निदेशक नहीं मिले और अन्य कर्मचारियों ने सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ भी हुआ है सब नियमानुसार हुआ है और इसकी कोई भी अन्य जानकारी देने से इन्कार कर दिया। सचिव शिक्षा भी अपने कार्यालय में उपलब्ध नही थे। प्रकाशक संघ ने मई से इस संबंध में विभाग से पत्राचार आरम्भ कर दिया था। मुख्यमन्त्री और सचिव कार्यालय को पत्र भेज कर यह आरोप लगाये हैं। उसके बाद अब विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके यह आरोप लगाये हैं और उसके बाद विधानसभा का घेराव करके मुख्यमन्त्री को पत्र सौंपा है। रोचक है कि अब तक न तो प्रकाशक संघ के आरोपों पर ही कोई कारवाई की गयी है और न ही संघ के खिलाफ।

मुख्यमंत्री और सचिव शिक्षा को दिये गये पत्र

उत्तर-मध्य भारत हिन्दी प्रकाशक संघ

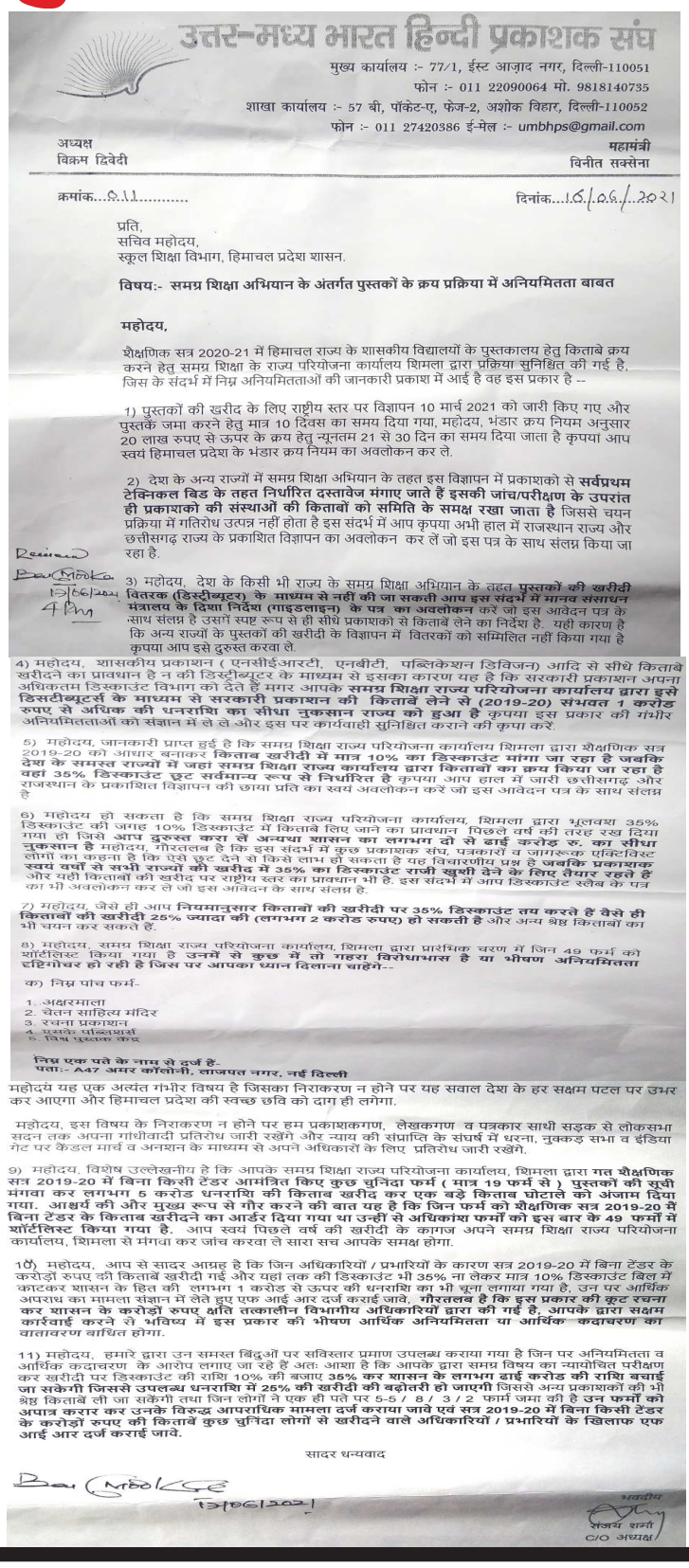

मुख्य कार्यालय :- 77/1, ईस्ट आज़ाद नगर, दिल्ली-110051
फोन :- 011 22090064 मो. 9818140735
शाखा कार्यालय :- 57 बी, पॉकेट-ए, फेज-2, अशोक विहार, दिल्ली-110052
फोन :- 011 27420386 ई-मेल :- umbhps@gmail.com

अध्यक्ष
विक्रम द्विवेदी

महामंत्री
विनीत सक्सेना

क्रमांक....011..........

दिनांक...16/06/2021

प्रति,
सचिव महोदय,
स्कूल शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शासन.

विषय:- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुस्तकों के क्रय प्रक्रिया में अनियमितता बाबत

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हिमाचल राज्य के शासकीय विद्यालयों के पुस्तकालय हेतु किताबे क्रय करने हेतु समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यालय शिमला द्वारा प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, जिस के संदर्भ में निम्न अनियमितताओं की जानकारी प्रकाश में आई है वह इस प्रकार है --

1) पुस्तकों की खरीद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन 10 मार्च 2021 को जारी किए गए और पुस्तकें जमा करने हेतु मात्र 10 दिवस का समय दिया गया, महोदय, भंडार क्रय नियम अनुसार 20 लाख रुपए से ऊपर के क्रय हेतु न्यूनतम 21 से 30 दिन का समय दिया जाता है कृपयां आप स्वयं हिमाचल प्रदेश के भंडार क्रय नियम का अवलोकन कर ले.

2) देश के अन्य राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस विज्ञापन में प्रकाशको से **सर्वप्रथम टेक्निकल बिड के तहत निर्धारित दस्तावेज मंगाए जाते हैं इसकी जांच/परीक्षण के उपरांत ही प्रकाशको की संस्थाओं की किताबों को समिति के समक्ष रखा जाता है** जिससे चयन प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है इस संदर्भ में आप कृपया अभी हाल में राजस्थान राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकाशित विज्ञापन का अवलोकन कर लें जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है.

Received
Bau (MooKe
17/06/2021
4 PM

3) महोदय, देश के किसी भी राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत **पुस्तकों की खरीदी वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) के माध्यम से नहीं की जा सकती आप इस संदर्भ में मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देश (गाइडलाइन) के पत्र का अवलोकन** करें जो इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है उसमें स्पष्ट रूप से ही सीधे प्रकाशको से किताबें लेने का निर्देश है. यही कारण है कि अन्य राज्यों के पुस्तकों की खरीदी के विज्ञापन में वितरकों को सम्मिलित नहीं किया गया है कृपया आप इसे दुरुस्त करवा ले.

4) महोदय, शासकीय प्रकाशन (एनसीईआरटी, एनबीटी, पब्लिकेशन डिविजन) आदि से सीधे किताबे खरीदने का प्रावधान है न की डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इसका कारण यह है कि सरकारी प्रकाशन अपना अधिकतम डिस्काउंट विभाग को देते हैं मगर आपके **समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इसे डिसटीब्यूटर्स के माध्यम से सरकारी प्रकाशन की किताबें लेने से (2019-20) संभवत 1 करोड रुपए से अधिक की धनराशि का सीधा नुकसान राज्य को हुआ है** कृपया इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में ले ले और इस पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें.

5) महोदय, जानकारी प्राप्त हुई है कि समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय शिमला द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 को आधार बनाकर **किताब खरीदी में मात्र 10% का डिस्काउंट मांगा जा रहा है जबकि देश के समस्त राज्यों में जहां समग्र शिक्षा राज्य कार्यालय द्वारा किताबों का क्रय किया जा रहा है वहां 35% डिस्काउंट छूट सर्वमान्य रूप से निर्धारित है** कृपया आप हाल में जारी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रकाशित विज्ञापन की छाया प्रति का स्वयं अवलोकन करें जो इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है

6) महोदय हो सकता है कि समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, शिमला द्वारा भूलवश 35% डिस्काउंट की जगह 10% डिस्काउंट में किताबे लिए जाने का प्रावधान पिछले वर्ष की तरह रख दिया गया हो जिसे **आप दुरुस्त करा लें अन्यथा शासन का लगभग दो से ढाई करोड़ रु. का सीधा नुकसान है** महोदय, गौरतलब है कि इस संदर्भ में कुछ प्रकाशक संघ, पत्रकारों व जागरूक एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि ऐसे छूट देने से किसे लाभ हो सकता है यह विचारणीय प्रश्न है **जबकि प्रकाशक स्वयं वर्षों से सभी राज्यों की खरीद में 35% का डिस्काउंट राजी खुशी देने के लिए तैयार रहते हैं** और यही किताबों की खरीद पर राष्ट्रीय स्तर का प्रावधान भी है. इस संदर्भ में आप डिस्काउंट स्लैब के पत्र का भी अवलोकन कर ले जो इस आवेदन के साथ संलग्न है.

7) महोदय, जैसे ही आप **नियमानुसार किताबों की खरीदी पर 35% डिस्काउंट तय करते हैं वैसे ही किताबों की खरीदी 25% ज्यादा की (लगभग 2 करोड रुपए) हो सकती है** और अन्य श्रेष्ठ किताबों का भी चयन कर सकते हैं.

8) महोदय, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, शिमला द्वारा प्रारंभिक चरण में जिन 49 फर्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है **उनमें से कुछ में तो गहरा विरोधाभास है या भीषण अनियमितता दृष्टिगोचर हो रही है जिस पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे--**

क) निम्न पांच फर्म-

1. अक्षरमाला
2. चेतन साहित्य मंदिर
3. रचना प्रकाशन
4. एसके पब्लिशर्स
5. विश्व पुस्तक केंद्र

निम्न एक पते के नाम से दर्ज हैं-
पता:- A47 अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली

महोदय यह एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसका निराकरण न होने पर यह सवाल देश के हर सक्षम पटल पर उभर कर आएगा और हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ छवि को दाग ही लगेगा.

महोदय, इस विषय के निराकरण न होने पर हम प्रकाशकगण, लेखकगण व पत्रकार साथी सड़क से लोकसभा सदन तक अपना गांधीवादी प्रतिरोध जारी रखेंगे और न्याय की संप्राप्ति के संघर्ष में धरना, नुक्कड़ सभा व इंडिया गेट पर कैंडल मार्च व अनशन के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए प्रतिरोध जारी रखेंगे.

9) महोदय, विशेष उल्लेखनीय है कि आपके समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, शिमला द्वारा **गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बिना किसी टेंडर आमंत्रित किए कुछ चुनिंदा फर्म (मात्र 19 फर्म से) पुस्तकों की सूची मंगवा कर लगभग 5 करोड धनराशि की किताब खरीद कर एक बड़े किताब घोटाले को अंजाम दिया गया. आश्चर्य की और मुख्य रूप से गौर करने की बात यह है कि जिन फर्म को शैक्षणिक सत्र 2019-20 मैं बिना टेंडर के किताब खरीदने का आर्डर दिया गया था उन्हीं से अधिकांश फर्मों को इस बार के 49 फर्मों में शॉर्टलिस्ट किया गया है.** आप स्वयं पिछले वर्ष की खरीदी के कागज अपने समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, शिमला से मंगवा कर जांच करवा ले सारा सच आपके समक्ष होगा.

10) महोदय, आप से सादर आग्रह है कि जिन अधिकारियों / प्रभारियों के कारण सत्र 2019-20 में बिना टेंडर के करोड़ों रुपए की किताबें खरीदी गई और यहां तक की डिस्काउंट भी 35% ना लेकर मात्र 10% डिस्काउंट बिल में काटकर शासन के हित की लगभग 1 करोड से ऊपर की धनराशि का भी चूना लगाया गया है, उन पर आर्थिक अपराध का मामला संज्ञान में लेते हुए एफ आई आर दर्ज कराई जावे, **गौरतलब है कि इस प्रकार की कूट रचना कर शासन के करोड़ों रुपए क्षति तत्कालीन विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई है, आपके द्वारा सक्षम कार्रवाई करने से भविष्य में इस प्रकार की भीषण आर्थिक अनियमितता या आर्थिक कदाचरण का वातावरण बाधित होगा.**

11) महोदय, हमारे द्वारा उन समस्त बिंदुओं पर सविस्तार प्रमाण उपलब्ध कराया गया है जिन पर अनियमितता व आर्थिक कदाचरण के आरोप लगाए जा रहे हैं अतः आशा है कि आपके द्वारा समग्र विषय का न्यायोचित परीक्षण कर खरीदी पर डिस्काउंट की राशि 10% की बजाए **35% कर शासन के लगभग ढाई करोड की राशि बचाई जा सकेगी जिससे उपलब्ध धनराशि में 25% की खरीदी की बढ़ोतरी हो जाएगी** जिससे अन्य प्रकाशकों की भी श्रेष्ठ किताबें ली जा सकेंगी तथा जिन लोगों ने एक ही पते पर 5-5 / 8 / 3 / 2 फार्म जमा की है **उन फर्मों को अपात्र करार कर उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया जावे एवं सत्र 2019-20 में बिना किसी टेंडर के करोड़ों रुपए की किताबें कुछ चुनिंदा लोगों से खरीदने वाले अधिकारियों / प्रभारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई जावे.**

सादर धन्यवाद

Bau (MooKe
17/06/2021

भवदीय
संजय शर्मा
C/O अध्यक्ष

पंजी. सं. 4542/70

मो. : 09868246199, 9711986119

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा-विभाग) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
(संस्था अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत)
पंजीकृत कार्यालय : 139, पुरानी अनारकली, गली नं. 4, दिल्ली-110051
महामंत्री कार्यालय : 30/35-36, गली नं. 9, विश्वास नगर, दिल्ली-110032
E-mail : abhpsdelhi@yahoo.com

स्थापित : 1954

सम्पर्क सूत्र
अध्यक्ष
ओमप्रकाश अग्रवाल ☎ 09314627546
उपाध्यक्ष
सतीश शर्मा ☎ 011-22303184, 09868049123
ओमप्रकाश अग्रवाल ☎ 09788050050
राजेन्द्र कुमार यादव ☎ 09899004063
राजेश अग्रवाल ☎ 09414041911
शुभा शर्मा ☎ 09871137296
महामंत्री
अरुण कुमार शर्मा ☎ 09868246199
मंत्री
धर्मेश रंगा ☎ 09413311753
संयुक्त मंत्री
रवि अजमेरा ☎ 09414796806
सपन खंडेलवाल ☎ 09660660333
सौरभ शर्मा ☎ 09958665656
टी.पी. तिवारी ☎ 09350887815
कोषाध्यक्ष
विजय गोयल ☎ 09810461412

क्रमांक अ०भा०/2021-22/228

दिनांक 04.08.2021

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
हिमाचल प्रदेश,
शिमला (हिमाचल प्रदेश)

विषय : समग्र शिक्षा 2020-21 के अन्तर्गत पुस्तकों के क्रय में भ्रष्टाचार के संदर्भ में।

महोदय

विदित है कि मार्च 2021 में (2020-21 के लिये) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा पुस्तकों के क्रय हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। जिसके संदर्भ में पूर्व में हमने आप को अपने पूर्व पत्र दिनांक 23.05.2021 के माध्यम से अवगत कराया था। उक्त पुस्तक खरीद प्रक्रिया में देश भर के लगभग 900 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशक फर्मों एवं लेखकों ने पुस्तक चयन हेतु अपनी-अपनी पुस्तकें कार्यालय में जमा कराईं थीं।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी पुस्तकें चयन करने के लिये विभाग द्वारा 12 सदस्यीय पुस्तक चयन समिति का गठन किया गया था। इस 12 सदस्यीय पुस्तक चयन समिति ने 22 मार्च, 2021 से लेकर 03 अप्रैल, 2021 तक लगभग 400 प्रकाशक फर्मों की विभिन्न कैटेगरी में पुस्तकों का चयन कर, चयनित पुस्तकों की सूची अपने हस्ताक्षर सहित, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को सुपुर्द की थी।

अप्रैल माह में, राज्य में कोरोना त्रासदी के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसके कारण शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय बंद कर दिये गये थे। चयनित पुस्तक सूची में से फाइनल पुस्तकों की सूची एवं फर्मों की लिस्ट बनाने के लिये बाद में कोई भी मीटिंग आयोजित नहीं हुई और न ही 12 सदस्यीय पुस्तक चयन समिति के किसी सदस्य को किसी मीटिंग में आमंत्रित किया गया। आश्चर्यजनक रूप से राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा अपनी चुनिंदा एवं चहीती 49 फर्मों का चयन बिना किसी नियम-कायदे के और वैधानिक प्रक्रिया अपनाये हुए मनमाने तरीके से भारी भ्रष्टाचार करते हुए इन 49 फर्मों से ही पुस्तकें क्रय करने हेतु उनसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे गये हैं। जबकि 12 सदस्यीय पुस्तक चयन समिति द्वारा लगभग 400 प्रकाशित फर्मों का चयन किया गया था। लेकिन राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा **आपदा में अवसर तलाशते हुए** मनमाने तरीके से अपनी चहीती 49 फर्मों को ही पुस्तक क्रय हेतु दस्तावेज आमंत्रित करने के लिए लिखा है। शेष बची 350 फर्में जिनकी पुस्तकें पुस्तक चयन समिति द्वारा चयनित की गई थीं, राज्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा मनमाने तरीके से उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उनका यह कदम दूषित एवं भ्रष्ट मानसिकता को दर्शाता है।

यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विगत वर्ष में भी जिन 19 फर्मों की पुस्तकों का क्रय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया था, वह भी बिना कोई प्रक्रिया अपनाये और भारत सरकार द्वारा जारी पुस्तक क्रय हेतु जारी गाइडलाईन की पूर्ण अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से भारी भ्रष्टाचार करते हुए किया गया। इन 19 फर्मों से पुस्तकों का क्रय 10 प्रतिशत कमीशन (जो कि अतिरिक्त पुस्तकों के रूप में लिया गया) जबकि पुस्तक क्रय में पूरे भारतवर्ष में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित छूट ली जाती है जो कि निम्नानुसार है—

1 से 10 प्रतियों पर 10 प्रतिशत, 11 से 25 प्रतियों पर 15 प्रतिशत, 25 से अधिक 100 प्रतियों तक 20 प्रतिशत, 100 से अधिक 300 प्रतियों तक 30 प्रतिशत, और 300 से अधिक प्रतियां क्रय करने पर 35 प्रतिशत छूट निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा विभाग भी पुस्तकों का क्रय इसी प्रक्रिया के अनुसार करता है।

लेकिन आश्चर्यजनक रूप से समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा पुस्तकों के क्रय में इस प्रक्रिया एवं नियमों का पालन भी नहीं किया गया। मनमाने तरीके से पुस्तकों के क्रय पर 10 प्रतिशत छूट अतिरिक्त पुस्तकों के रूप में ली गई और पुस्तकों का क्रय और पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर ही किया गया। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा इस पर भारी 50 प्रतिशत कमीशन रिश्वत के रूप में लिया गया। इसी क्रम में इस वर्ष भी अपने चुनिंदा एवं चहीती 49 फर्मों से सांठ-गांठ कर 10 प्रतिशत कमीशन बिल पर अतिरिक्त पुस्तकों के रूप में लेते हुए मुद्रित मूल्य पर ही पुस्तकों का क्रय करने का प्रयास हो रहा है और इसमें राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय अपनी चहीती फर्मों से 50 प्रतिशत कमीशन रिश्वत के रूप में वसूल कर रहा है।

इससे स्पष्ट है कि समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय में शिक्षा माफिया का बोलबाला है। जिसके साथ सांठ-गांठ कर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय अपने आर्थिक लाभ के लिये उक्त शिक्षा माफिया प्रकाशक समूह को लाभ पहुंचा रहे हैं। जिससे देश के अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों एवं लेखकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के इस कृत से प्रदेश के विद्यार्थियों को स्तरीय पुस्तकों के लाभ से भी वंचित किया जा रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अन्य राज्य जैसे-छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों का क्रय राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित छूट के अंतर्गत ही किया जा रहा है। पंजाब सरकार के राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा व प्रकाशकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई पुस्तकों में से चयनित सभी पुस्तकों की सूची अपने सभी विद्यालयों को जारी की गई, जिसमें वे विद्यालय एवं बच्चों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पुस्तकें अपने स्तर पर क्रय कर सकें। पंजाब सरकार द्वारा पुस्तकों के क्रय पर निजी प्रकाशकों से 40 प्रतिशत छूट एवं सरकारी संस्थानों की पुस्तकों पर 25 प्रतिशत छूट पर क्रय करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी प्रकाशक इन निर्देशों की पालना करते हुए 40 प्रतिशत छूट पर ही अपनी पुस्तकें विद्यालय को आपूर्ति कर रहे हैं।

खेद है कि आश्चर्यजनक रूप से राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा न तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुस्तक क्रय में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन एवं नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही पुस्तकों के क्रय पर राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित छूट ली जा रही है। राज्य परियोजना निदेशक महोदय अपने आर्थिक लाभ के लिये भ्रष्टाचार करते हुए शिक्षा माफिया प्रकाशकों से विगत वर्ष की भांति 50 प्रतिशत कमीशन वसूलने के उद्देश्य से पुस्तकों का क्रय 10 प्रतिशत छूट जो कि अतिरक्त पुस्तक के रूप देय होगी पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर ही इन 49 प्रकाशक फर्मों से पुस्तकें क्रय करने का प्रयास कर रहे हैं।

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.05.2021, दिनांक 05.06.2021 और दिनांक 22.06.2021 के द्वारा भी आपके कार्यालय एवं प्रमुख सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला को भी पत्र लिखकर उपरोक्त परिस्थितियों से अवगत कराया था और उनके कार्यालय में पत्र लिखकर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने मिलने का समय भी मांगा था लेकिन न तो प्रमुख सचिव शिक्षा, और न ही राज्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा हमें मिलने का समय दिया।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा अपनाई गई इस पूरी प्रक्रिया की आर्थिक अपराध ब्यूरो से जांच कराई जाए। जिससे सच्चाई सामने आ सके। निष्पक्ष जांच के लिये यह भी आवश्यक है कि राज्य परियोजना निदेशक एवं शिक्षा सचिव को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को किसी भी प्रकार के आदेश जारी करने से रोका जाए।

सहयोग की अपेक्षा में!

सधन्यवाद

अध्यक्ष	महामंत्री	उपाध्यक्ष
ओम प्रकाश अग्रवाल	अरुण कुमार शर्मा	आर.के. यादव/शुभा शर्मा